पटना में दिनांक–27 सितम्बर, 2016 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

1. डोर स्टेप डिलेवरी योजना–2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में संभावित कुल व्यय रू० 153212 लाख (एक लाख तिरपन हजार दो सौ बारह लाख रूपये) व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	1. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

2. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अंतर्गत किशनगंज (फेज–1), बेगुसराय, बिहारशरीफ (फेज–1), एवं दरभंगा नगर निकायों के जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 239.1090 करोड़ रू० (दो अरब उन्नचालीस करोड़ दस लाख नब्बे हजार रू०) मात्र अनुमानित लागत व्यय एवं योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।	2. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

3. औद्योगिक, व्यावसायिक एवं म्युनिसिपल उपयोग हेतु जल प्रभार दर में वृद्धि के प्रस्ताव पर स्वीकृति।	3. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

4. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचलीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली–2016 की स्वीकृति।	4. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) वेतनमान् ₹ 15,600–39,100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600/–से अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) वेतनमान् ₹ 37,400–67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8700/–के पद पर प्रोन्नति।	5. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

6. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना में मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर पुनर्नियुक्त श्री सतीश सिंह ठाकुर की सेवा दिनांक–20.10.2016 के उपरान्त एक वर्ष के लिए दिनांक–20.10.2017 तक पूर्व निर्धारित शर्त्तों पर विस्तारित किये जाने के संबंध में।	6. स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

7.	राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के पश्चात् विदेशी शराब एवं बीयर के व्यापार में संलग्न उद्योग/प्रतिष्ठानों के द्वारा उत्पादित भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर के निर्यात शुल्क तथा बोटलिंग फी में शत–प्रतिशत छूट के संबंध में नीतिगत निर्णय।	7.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

8.	एम०सी०आई० आपत्तियों के निराकरण हेतु इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों में फैकल्टी के अतिरिक्त 71 (एकहत्तर) पदों के सृजन की स्वीकृति।	8.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

9.	डा० रामानुज सिंह, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा०केन्द्र, कोईलवर अतिरिक्त प्रभार प्रा०स्वा०केन्द्र, बड़हरा, भोजपुर (सम्प्रति निलंबित) को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव।	9.	स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग
(निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण)

10.	श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा/राज्य व्यवसायिक परीक्षा आयोजन/मूल्यांकन हेतु पारिश्रमिक की दरों से संबंधित निर्गत संकल्प संख्या–861, दिनांक–08.08.2016 की कंडिका–05 में अंकित "उपरोक्त संशोधित दर तत्काल प्रभाव से लागू होगा" के स्थान पर " उपरोक्त संशोधित दर अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा, जुलाई–अगस्त, 2016 के संचालन की तिथि अर्थात दिनांक–20.07.2016 से प्रभावी होगा" से प्रतिस्थापन करने के संबंध में।	10.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

11.	श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा अनिवार्य सेवानिवृत्ति को न्यायिक सेवा में पुनः बहाल करने के संबंध में।	11.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

12.	स्थानापन्न आधार पर दी गई प्रोन्नतियों के नियमितिकरण एवं ऐसी प्रोन्नतियों के आधार पर कालावधि की गणना के संबंध में।	12.	स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

13. विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों के विरूद्ध अनुबंध के आधार पर पूर्व से कार्यरत व्याख्याताओं को नियमित नियुक्ति होने अथवा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक, जो पहले हो, पुनर्नियोजन की स्वीकृति के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

14. विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरूद्ध अनुबंध के आधार पर पूर्व से कार्यरत सहायक प्राध्यापक को नियमित नियुक्ति होने अथवा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक, जो पहले हो, पुनर्नियोजन की स्वीकृति के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

15. राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2016–17 के वेतनादि भुगतान हेतु कुल रू० 54,00,00,000/– (चौवन करोड़) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

16. वित्तीय वर्ष 2016–17 में सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई के स्थापना एवं अन्य मद में व्यय हेतु रू० 7,30,00,000 (सात करोड़ तीस लाख) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 16. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

17. श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर में 250 बेडेड नर्सेस छात्रावास के भवनों के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल प्राक्कलित राशि रू० 21,80,00,000/– (रूपये एक्कीस करोड़ अस्सी लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 17. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

18.	जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एवं बायोकेमेस्ट्री विभागों के भवनों के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल प्राक्कलित राशि रू० 42,40,14,000/–(रूपये बियालिस करोड़ चालीस लाख चौदह हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।	18.	स्वीकृत।

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

19.	बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में।	19.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

20.	कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तकनीकी सहयोग करने हेतु नियोजित कृषि समन्वयकों को अगले 11 माह तक या स्थायी नियुक्ति होने तक जो पहले आये, तब तक के लिए अवधि विस्तार के संबंध में।	20.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

21.	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2016–17 में राज्य योजना अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विभिन्न कृषि/उद्यान महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों के वेतनादि के भुगतान, स्थापना से संबंधित अन्य मद तथा कोर्डिनेटेड वेराइटल ट्रायल एवं 3डी प्रिंटर के लिए 4509.90 लाख रूपये (पैंतालीस करोड़ नौ लाख नब्बे हजार रूपये) की स्वीकृति।	21.	स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

22.	लघु जल संसाधन विभाग, बिहार में संविदा के आधार पर कार्यरत 10 (दस) कनीय अभियंताओं (असैनिक/ यांत्रिक) को अगले एक वर्ष तक के लिए पुर्ननियोजित करने के संबंध में।	22.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

23.	डा० संजय कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नानपुर, सीतामढ़ी के जुलाई, 2005 से लगातार पाँच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव।	23.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

24.	बिहार वित्त नियमावली, 1950 में संशोधन के संबंध में।	24.	स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

25.	बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 18, नियम 29 एवं श्रोत पर कर के अग्रिम कटौती की दर में संशोधन तथा बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के अन्तर्गत त्रैमासिक विवरणी RT-I, वार्षिक विवरणी RT-III, संशोधित त्रैमासिक विवरणी RT-V, एवं बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची–III एवं अनुसूची–IIIA में संशोधन करने के संबंध में।	25.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

26.	राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के अन्तर्गत "हर घर नल का जल" योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकारी/विभागीय भूमि उपयोग करने संबंधी नीति की स्वीकृति।	26.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

27.	वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजनान्तर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के मार्च, 2016 से फरवरी, 2017 तक के लिए वेतनादि/पेंशनादि, जुलाई, 2015 से फरवरी, 2016 तक की अवधि के लिए बकाये महंगाई भत्ता/महंगाई राहत एवं विभिन्न न्यायालीय वादों में न्यायादेश के तहत अनुमान्य बकाया राशि के भुगतान के लिए कुल रूपये 2219,99,38,166/–(दो हजार दो सौ उन्नीस करोड़ निन्यानवे लाख अड़तीस हजार एक सौ छियासठ) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति तथा उक्त स्वीकृत राशि में से माह मार्च, 2016 से मई, 2016 तक के लिए स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रूपये 506,18,20,305/–(पाँच सौ छः करोड़ अठ्ठारह लाख बीस हजार तीन सौ पाँच) मात्र का सामंजन एक मुश्त करने की स्वीकृति के संबंध में।	27.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

28.	राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 205 मदरसों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2016–17 के नियत मानदेय भुगतान हेतु 15,00,00,000/–(पन्द्रह करोड़) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।	28.	स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

29.	सर्विस प्लस फ्रेमवर्क के द्वारा राज्य स्तर पर ई०–डिस्ट्रिक्ट परियोजना ऑनलाईन किये जाने हेतु कुल प्राक्कलित राशि ₹ 3,00,00,000.00 (तीन करोड़) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।	29.	स्वीकृत।

गृह विभाग

(सैनिक कल्याण निदेशालय)

30. द्वितीय विश्वयुद्ध के विसज्जित सैनिकों तथा मृत्योपरांत उनके पत्नियों, जिनकी कुल संख्या–61 है, को दी जा रही आर्थिक सहायता की राशि 5000/–रू० से बढ़ाकर 7,000/–रू० प्रतिमाह करने के संबंध में।

30. आर्थिक सहायता राशि को 5000/–रू० से बढ़ा कर 10000/–रू० प्रतिमाह करने की स्वीकृति दी गई।